

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मद्दत करती है। (ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अधीत वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मानोदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: २६/९/२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: २६/९/२३

वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: २६/९/२३

2. ग्राम का नाम: केराण गढ़

ग्राम पंचायत का नाम: केराण गढ़

स्वाँक का नाम: श्रीदत्त ठांडे

जिला का नाम: बलरामपुर

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकृता: ०२ (संख्या) मध्येशी कुड़ो को और ०२ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् १० घन्टे नियोजित गुणवत्ता + वाले एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष २०२१ प्रतिक ५०० लीटर्स/घण्टा परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एक.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अत.ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों वा सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गढ़ जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूरी लागत का १०%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी.जी.आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अधीत वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: रोय लला रख लला कृतका समिति

अध्यक्ष का नाम: कलंगला देवी

लिंग: महिला

आयु: ५५

सदस्य का नाम

लिंग

आयु



कलंगला देवी
PC

रोय लला रख लला कृतका समिति

III. सामाजिक विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार	
जनसंख्या	1525
परिवारों की संख्या	230
महिलाओं की संख्या	733
पुरुषों की संख्या	792
बच्चों की संख्या	231
एफ.एच.टी.सी. की संख्या	

वर्तमान प्रधानमंत्री आवश्यकीय रिकॉर्ड के अनुसार	
वर्तमान जनसंख्या	1637
परिवारों की संख्या	253
महिलाओं की संख्या	806
पुरुषों की संख्या	831
बच्चों की संख्या	298
एफ.एच.टी.सी. की संख्या	

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एस.डी.) अंतिम घरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एस.डी.)

8. वर्तमान मरवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटने: _____

प्रमुख फसलें	छारीक	रबी
मूँगा	✓	
घास		✓
मक्का	✓	
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10. औसत डिला वर्षी (मि. मो. मे): _____

11. स्थलांकृति (समतल, ढलान, आदि): _____

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानविक बियां किया गया है? (हाँ/नहीं)
(याम कार्य योजना के साथ मानविक संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानविक बियां किया गया है? (हाँ/नहीं)
(याम कार्य योजना के साथ मानविक संलग्न करें)

14. भ. स. सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षी जल संचयन सरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सोडा मॉर्ट्स की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1. स्कूल	हाँ	हाँ	हाँ
2. आगमनशाली			
3. स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	हाँ	हाँ
4. याम प्रधानमंत्री			
5. जल	नहीं	हाँ	हाँ



नहीं उल्लंघन

PC

जल संचयन सरचना

प्रभावी नहीं

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर २१५.३१ के एवं वी
मध्यवर्षीयों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ८.४.१ के एवं वी

मध्यवर्षीयों की आवश्यक संख्या

मध्यवर्षीय चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर ३५८.५६ के एवं वी

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर ३८९.९१ के एवं वी

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त: गुणा/अनुकूल/चक्रवाती/बहु या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैदाने
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: ८६% प्रभारत मुख्यस्तं भूलं भूलं भूलं भूलं पुरी

17. आपातकालीन त्यवस्था का क्रेड़िट इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति

18. पानी की आपूर्ति से सबपित आशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मिठानी, लुट्थार, डम्परिया, गलियां, परीक्षिया।

पानी की गुणवत्ता

20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की घोकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (छोटी) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत
का नाम (अवस्थिति): _____

मापदंड	तारीका	परिणाम
गटनी	इश्य तुलना	१.४६
पीएच	पही रंग तुलना	२.४५
पूरी लवणता	टिटीमेट्रिक विधि	२.७६
पूरी सारीयता	टिटीमेट्रिक विधि	३.२९
बलोराइड	टिटीमेट्रिक विधि	१७.०२
अमोनिया	इश्य रंग तुलना	
फास्केट	इश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	इश्य रंग तुलना	
आयरन	इश्य रंग तुलना	
नाइट्रोट	इश्य रंग तुलना	
फलोराइड	इश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (होटस्पॉट में)	इश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह समावना है कि गाँव के कुछ ग्रामीण इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो: ऐसे
अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम	परों की संख्या	आवादी
-----------------	----------------	-------



गुलबीराह
PC

प्रोत्तर स्थानिक

24. मूल जल के साथसे ही, क्या बोरेल विधारी संरक्षण है? (हाँ/नहीं)
25. यह मैं अमेरिका जल संगठन की सूची विवरण कामकाजप्राप्ति कर्त्ता किए जाना चाहता है।
यद्यपि जल का पर्याप्त

26. अपर्याप्त गताता जल (जल आपूर्ति का 65%): 193.00 के रखा है।

अमेरिका जल संगठन गहरी कासे परिवारों की संख्या: 13

अमेरिका की संख्या जिन्हें जीवन संग्रही की आवश्यकता है: 25

आवश्यक समुदायिक सोबत्ता गहरी की संख्या:

क्या अपरिवृत्त तत्त्वजट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): 100

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अधिनियमीकृत किया गया है: 100

यदि नहीं, तो गताता जल पर्याप्ति के कोरिं से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. जिम्मेदारियां में से किस बेंची के तहत एक एच.डी.सी. प्रदान किए जाएंगे।

- अंतिम और तक पहुँच के लिए पूर्णती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेटेकिटिंग
- पूरी हो पुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेटेकिटिंग ताकि इसे जे.डी.एम. के अनुकूल बनाया जा सके।
- जिपीरित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलस्थिति वाटर स्थानीय या प्राचारनी जल वाले गांवों में एम.डी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले जिन्हें पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.डी.एस.
- वाटर याइडोरीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.डी.एस.
- जिसी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकवट्ठा/आदिवासी बसिनियों में स्थित है।

28. अधिनियमीकृत जल सोल. मौजूदा जल संग्रही दो तकनीकी-आधिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यवान के आपार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना को वर्चों ग्रूप प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लिए अधिनियमीकृत भूमि: ग्रूप प्रदान के रेटेकिटिंग

वह तरीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी:

योजना की लागत: 50% भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50%

समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क:

वार्षिक प्रदान व रख-न-खाव शुल्क: व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क:

प्रयोक्ता शुल्क: कोई दूसरा बसावट हो तो, अधिनियमीकृत

पी.डब्ल्यू.एस.:

VI. मैल-जीत

(जिम्मेदारियां तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ जिपि मैल-जीत सम्भव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अधिनियमीकृत योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निपि
पीटुका डिस्ट्री	याम पर्याप्ति	दै-वाटर मैलजीमेट,	
आयोग		ई-डेज बिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत	पैयजल और स्वच्छता विभाग,	दै-वाटर मैलजीमेट-सोबत्ता गहरी	
मिल्ल - यामीण (एम.डी.एम.-जी)	जल शवित मंत्रालय	(व्यक्तिगत / समुदायिक), अपरिवृत्त तत्त्वजट तालाब आदि।	
एम.डी.एम.आर.डी.सी.	यामीण विकास मंत्रालय	पालुतिक संसाधन प्रबन्ध (एम.आर.एम.) पटक के तहत सभी जल संवाधन गतिविधियां	

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तुतियाँ निए
एवीएस बाटरेड प्रदान कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एस.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	बाटरेड प्रदान कार्यक्रम नियम प्रक्रिया, जल निकासी का नियोग तुष्टि आदि।	✓
जल भारती की मध्यमत नवीकरण और जीवनशैली	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बहु जल भारती का जीवनशैली	✓
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरेड से संबंधित कार्य	✓
प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एस.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक उपलब्ध वाली विभिन्न फारसों के लिए मूहम-सिवाई का प्राप्तान, एवं वीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए	✗
क्षेत्रिक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण	पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, जल परिस्थितिकी संरक्षण, जल का फुलजैनन, वॉटरेड विकास, आदि।	✓
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एस.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक संग्रह संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	✗
समय विकास	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्राप्तान	✓
आकाशी विकास कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियिकों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	✗
जिल भवित्व विकास निपिट डी.एन.ए.क)	राज्य	बहु ऐमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	✓
एम.पी.एस.ए.डी.	सांचियकों और कर्मचार्य कार्यालयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंत याम अवसरपना	✗
एम.एन.ए.ए.डी.	राज्य	अंत याम अवसरपना	✗
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुद्देश्यवाचनजहाय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजाहाय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंत याम अवसरपना	✗
दलदाता/प्रायोजक			



मुख्यमंत्री
PC

प्रधानमंत्री
27/12/2012

अध्यक्ष का हस्ताक्षर:

पी.एच.डी./ जार.इन्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): Brij Bhushan Yadav ⑨

संपर्क विवरण

याम पचायत और/या इसकी उप-समिति, अधीकारी की इन्यू.एस.मी.पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आटि का अध्यक्ष:

पचायत समिति का नाम और फोन नंबर: चंचल सिंह - 6306621787

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. रघुशत्रु रिंह	W/o	प्रियंका प्रसाद सिंह	mo.no 9960485143
2. श्रीमा देवी	W/o	जंग बहादुर	mo.no 8891074883
3. उर्ध्वना सिंह	W/o	वरांत सिंह	mo.no. 8595042758
4. पुष्पा देवी	W/o	कीरति	mo.no 6386637459
5. रघुमा देवी	W/o	गुलाम सद	mo.no. 7379442909

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

बुजेन्द्र बहादुर सिंह ६० वितेन्द्र बहादुर सिंह mo.no - ९८३८५८४२९

